झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
पंचदश (बजट)सत्र
वर्ग–02

08, फाल्गुन,1945 (श०)
निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांकः–.....को
27 फरवरी,2024 (ई०)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क० सं०	विभागों को भेजी गई सां०संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
18-	वन०–03	डॉ०इरफान अंसारी,	मुआवजा देना।	वन०पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	19-02-24
19-	उत०–04	डॉ०लम्बोदर महतो,	डिग्री महाविद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	20-02-24
20-	शि०–07	श्री राजेश कच्छप,	अतिकमण हटाना।	स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता	20-02-24
21-	शि०–01	श्री कोचे मुण्डा,	कमरों का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता	18-02-24
22-	शि०–03	सुश्री अम्बा प्रसाद,	विद्यालयों को उत्कमित करना।	स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता	18-02-24
23-	उ०–01	श्री कमलेश कुमार सिंह,	उद्योग की स्थापना।	उद्योग	20-02-24
24-	टन०–02	श्री उमाशंकर अकेला,	स्टेडियम का निर्माण।	पर्य०कला०सं० खेलकूद एवं युवा कार्य	18-02-24
25-	टन०–03	सुश्री अम्बा प्रसाद,	एन०ओ०सी० लेना।	पर्य०कला०सं० खेलकूद एवं युवा कार्य	18-02-24
26-	वन०–04	श्री किशुन कुमार दास,	लकड़ी का टाल खोलना।	वन०पर्या० एवं जलवायु परिवर्तन	20-02-24

01	02	03	04	05	06
27-	शि0-02	श्री उमाशंकर अकेला,	विद्यालयों को उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता	18-02-24
28-	टन0-04	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	पर्यटन स्थल अधिसूचित करना।	पर्य0कला0सं0 खेलकूद एवं युवा कार्य	18-02-24
29-	उत0-05	श्री अमित कुमार यादव,	पठन-पाठन कार्य प्रारम्भ कराना।	उच्च एवं तक0शिक्षा	20-02-24
30-	वन0-02	श्री अमित कुमार मंडल,	भूमि का हस्तांतरण।	वन0पर्या0 एवं जलवायु परिवर्तन	19-02-24
31-	शि0-06	श्री कमलेश कुमार सिंह,	शिक्षक नियुक्ति करना।	स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता	20-02-24
*32-	वन0-01	श्री विनोद कुमार सिंह,	वन पट्टा देना।	वन0पर्या0 एवं जलवायु परिवर्तन	18-02-24
33-	शि0-08	श्री केदार हजरा,	उच्च विद्यालय का दर्जा देनां	स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता	20-02-24
34-	उ0-02	श्री अमित कुमार यादव,	फैक्ट्री चालू कराना।	उद्योग	20-02-24
35-	सूई0-01	श्री अमित कुमार मंडल,	टावर स्थापित कराना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस	18-02-24
36-	टन0-01	श्री आलोक कुमार चौरसिया,	पर्यटन स्थल बनाना।	पर्य0कला0सं0 खेलकूद एवं युवा कार्य	18-02-24
37-	टन0-06	श्री केदार हजरा,	महोत्सव कराना।	पर्य0कला0सं0 खेलकूद एवं युवा कार्य	20-02-24
38-	उत0-01	श्री कोचे मुण्डा,	कॉलेज का निर्माण।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	18-02-24
39-	शि0-05	डॉ0इरफान अंसारी,	उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता	19-02-24
40-	शि0-04	श्री बिरंची नारायण,	उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा एंव साक्षरता	18-02-24
41-	उत0-02	श्री अनन्त कुमार ओझा,	शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	19-02-24
42-	उत0-03	डॉ0लम्बोदर महतो,	महाविद्यालय खोलना।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	20-02-24
43-	टन0-05	श्री किशुन कुमार दास,	सुविधा बहाल कराना।	पर्य0कला0सं0 खेलकूद एवं युवा कार्य	20-02-24

नोटः- *32- वन,पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ज्ञापांक-556,दिनांक-22-02-24 द्वारा अनुसूचित जनजाति,अनुसूचित जाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक-27 फरवरी,2024 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)- 03/2020-2822/वि०स०,राँची,दिनांकः-22/02/24

प्रतिलिपिः-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष/माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

22/02/24

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)- 03/2020-2822/वि०स०,राँची,दिनांकः-22/02/24

प्रतिलिपिः-आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय/संयुक्त सचिव (प्रश्न),झारखण्ड विधान सभा को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / प्रभारी सचिव महोदय एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

22/02/24

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः-झा०वि०स०(प्रश्न)- 03/2020-2822/वि०स०,राँची,दिनांकः-22/02/24

प्रतिलिपिः-कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा / वेबसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा, जे०भी०एस०टी०भी० शाखा, अनागत प्रश्न एवं कियान्वयन समिति शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

22/02/24

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

21.02.24

डॉ0 इरफान अंसारी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–03 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला में मिहिजाम नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत पश्चिम बंगाल से सटे बॉर्डर पर अंजनी फेरोएलॉय फैक्ट्री अवस्थित है, जिसके अनियंत्रित प्रदूषण से आस–पास के ग्रामीणों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। अंजनी फेरोएलॉय फैक्ट्री, जामताड़ा जिला में मिहिजाम नगर पंचायत क्षेत्र में अवस्थित है। अंजनी फेरोएलॉज में प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्नलिखित व्यवस्था किए गए है :– 1. वायु प्रदूषण से निजात पाने हेतु इकाई में चिमनी का निर्माण किया गया है तथा ड्राई बैग फिल्टर स्थापित किया गया है। 2. इकाई के परिसर के अन्दर सड़कों का पक्कीकरण किया गया है तथा जगह–जगह पर फिक्सड टाईप वाटर स्प्रींकलर का व्यवस्था किया गया है। एक मोबाईल वाटर टैंकर द्वारा सड़क पर जल का छिड़काव किया जाता है। 3. इकाई के द्वारा लगभग 150 की संख्या में पेड़ लगाये गए है। 4. इकाई के चिमनी से निकलने वाले उत्सर्जन को मापने हेतु Online Continuous Emission Monitoring System (PM Parameters) (OCEMS) स्थापित किया गया है। (OCEMS) का data झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के पोर्टल पर उपलब्ध है। जिसमें इकाई का PM Parameters मानक (150 mg/Nm^3) के अधीन है। ग्रामीणों के स्वास्थ्य से संदर्भित जानकारी विभाग को नहीं है।
2. यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए इस अनियंत्रित प्रदूषण पर अविलम्ब रोक लगाने का विचार रखती है, इसके अतिरिक्त इस प्रदूषण से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने का भी विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	अस्वीकारात्मक। कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–10/2024– 607 व0प0, दिनांक– 26/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2666, दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

(19)

डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–04 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला अन्तर्गत कसमार एवं पेटरवार प्रखण्ड में राजकीय डिग्री महाविद्यालय नहीं है ;	स्वीकारात्मक।
02	क्या यह बात सही है कि कसमार एवं पेटरवार प्रखण्ड में डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने से हजारों छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार प्रखंड में तेनुघाट महाविद्यालय, तेनुघाट (स्थायी संबद्धता प्राप्त) अवस्थित है, जहाँ छात्र–छात्राएँ उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
03	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कसमार एवं पेटरवार प्रखण्ड के लिए राजकीय डिग्री महाविद्यालय स्थापित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वैसे विधान–सभा क्षेत्र, जहाँ अंगीभूत महाविद्यालय अवस्थित नहीं है, उस विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत डिग्री महाविद्यालय के स्थापना का सरकार का निर्णय है। बोकारो जिलान्तर्गत कसमार एवं पेटरवार प्रखंड गोमिया विधान–सभा क्षेत्र में आता है। गोमिया विधान–सभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, गोमिया स्थापित है, जिसमें सत्र 2023–24 से पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में सरकार का प्रखंडवार डिग्री महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय नहीं है। GER की वृद्धि हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त महाविद्यालयों की स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक : 01/वि0स0–13/2024 329 / राँची, दिनांक : 26/02/2024

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके पत्रांक–2724, दिनांक 20.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

श्री राजेश कच्छप, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि–07

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि खिजरी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत अनगड़ा प्रखण्ड के रा०म०वि० चतरा के खाता न0–226, प्लॉट न0–20 कुल रकबा (2–03 डी०) दो एकड़ तीन डी० भूमि विद्यालय के स्वामित्व का है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची के पत्रांक 490 दिनांक 23.02.2024 के प्रसंग में प्रधानाध्यापक राजकीय मध्य विद्यालय, चतरा, अनगड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कुल रकबा–2 एकड़ 03 डी० अंतर्गत मधे रकबा–60 डी० में विद्यालय अवस्थित है। वर्ष 1990 में बिहार सरकार द्वारा विद्यालय को 60 डी० जमीन बण्डा परचा से प्राप्त है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विद्यालय के पास 38 डी0 भूमि पर भवन एवं 22 डी० भूमि मैदान के रूप में है, जबकि बाकी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा है;	विद्यालय के पास 38 डिसमील भूमि पर भवन एवं 22 डिसमील भूमि मैदान के रूप में अर्थात कुल 60 डिसमील भूमि उपलब्ध है। वर्ष 2012 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत चहार दीवारी निर्माण हेतु राशि आवंटित की गई थी, किन्तु भूमि विवाद के कारण चहार दीवारी निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो सका।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	भूमि विवाद संबंधी मामला अंचलाधिकारी, अनगड़ा, राँची के न्यायालय में विचाराधीन है।

Asam
24.02.24
सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–08/2024 262 / राँची, दिनांक 24/02/2024

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2721 दिनांक 20.02.2024 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Asam
24.02.24
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

21 684
26/02/2024

श्री कोचे मुण्डा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–01

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिला के रनिया प्रखण्ड में बेलकीदूरा हाईस्कूल स्थित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बेलकीदूरा हाई स्कूल में सिर्फ दो कमरों में मैट्रिक तक की शिक्षा दी जा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। यू–डायस के आंकड़ों के अनुसार खूँटी जिला अन्तर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बेलकीदुरा में नामांकित छात्र–छात्राओं की कुल संख्या 71 (वर्ग–I-08, II-05, III-08, IV-14, V-10, VI-02, VII-09, VIII-04, IX-03 एवं वर्ग– X-08) है एवं कुल छात्र–छात्राओं के अध्यापन कार्य हेतु 01 प्राथमिक एवं 01 उच्च प्राथमिक शिक्षक कार्यरत हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार जिला के योजना अनाबद्ध निधि से 02 नये अतिरिक्त वर्ग कक्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।
3.	क्या यह बात सही है कि दो कमरों में हाईस्कूल तक की शिक्षा देने में शिक्षकों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि 02 अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माणाधीन है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति कंडिका 02 के उत्तर में समाहित है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विद्यालय में अतिरिक्त 02 कमरों का निर्माण आगामी शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में पूर्ण हो जाएगा।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–05/2024 684 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

22

691
26/02/2024

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–03

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न पंचायत में स्थिति विद्यालयों में कक्षाओं को उत्क्रमित करने का कार्य स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विस्थापित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बड़कागांव विधान सभा क्षेत्र के कई विद्यालयों को आठवीं से दसवीं या दसवीं से प्लस टू तक करने का प्रस्ताव विभाग को समर्पित किया गया है;	स्वीकारात्मक। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में उत्क्रमण के लिए निम्नाकिंत प्रस्ताव प्राप्त है:– 1. उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सुकुलखपिया, बड़कागांव, 2. उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लुरूंगा, बड़कागांव एवं 3. उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पेटो, केरेडारी। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के उच्च विद्यालय से +2 विद्यालय में उत्क्रमण के लिए निम्नांकित प्रस्ताव प्राप्त है:– 1. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बेलतु, केरेडारी एवं 2. उत्क्रमित उच्च विद्यालय, आंगो, बड़कागांव।
3.	क्या यह बात सही है कि विद्यालयों में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भेजे गये प्रस्ताव को राज्यस्तर से स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है;	आंशिक स्वीकारात्मक। 1. उत्क्रमित मध्य विद्यालय, सुकुलखपिया, बड़कागांव एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय, लुरूंगा, बड़कागांव को विभागीय संकल्प सं. 629 दिनांक 21.02.2024 के अनुलग्नक–01, क्रम सं. 31 एवं 32 द्वारा मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। 2. उत्क्रमित उच्च विद्यालय आंगो, बड़कागावं का +2 विद्यालय में उत्क्रमण हेतु निर्धारित मानक अंतर्गत प्रस्ताव नहीं रहने के आलोक में राज्यस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं है। 3. उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेलतु, केरेडारी का +2 विद्यालय में उत्क्रमण हेतु राज्यस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त है। 4. उच्च विद्यालय से +2 विद्यालय में उत्क्रमण से संबंधित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के निर्णय हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग को प्रेषित है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बड़कागांव	उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पेटो, करेडारी का उत्क्रमण हेतु निर्धारित मानक अंतर्गत प्रस्ताव नहीं रहने के आलोक में राज्यस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं है।

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–03

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

	विधान सभा क्षेत्र में स्थित विद्यालयों को आवश्यकता अनुसार उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभागीय ज्ञापांक 629 दिनांक 21.02.2024 द्वारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुकुलखपिया, बड़कागांव एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय लुरूंगा, बड़कागांव को उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। उच्च विद्यालय से +2 विद्यालय में उत्क्रमण से संबंधित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के निर्णय हेतु प्रेषित है।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–06 / 2024 691 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(23)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–01

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिले के हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक भी उद्योग स्थापित नहीं है;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र का मुख्य पेशा कृषि है परन्तु यह क्षेत्र रेन शौडो एरिया में पड़ने के कारण हमेशा अकाल व सुखाड़ का दंश झेलता रहा है, फलस्वरूप यहाँ के नौजवानों को रोजगार के लिए पलायन को मजबूर होना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिला अन्तर्गत हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योग की स्थापना करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति–2021 एवं अन्य Sectoral Policies के अंतर्गत आकर्षक वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान प्रावधानित है। संदर्भित विधानसभा क्षेत्र से उद्यमियों/निजी निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत संदर्भित नीतियों के तहत प्रदत्त सुविधाएं/प्रोत्साहन नियमानुसार देय होगा।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–03/2024 279 /राँची, दिनांक:– 26/2/24

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2720 दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/04/24
सरकार के अवर सचिव
उद्योग विभाग।

24

श्री उमा शंकर अकेला स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक–27.02.2024 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–02 का उत्तरः–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री उमा शंकर अकेला, सदस्य विधान सभा	*श्री हफीजूल हसन, माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के बरही प्रखण्ड मुख्यालय में खेलकूद हेतु स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ है;	अस्वीकारात्मक। वित्तीय वर्ष 2017–18 में हजारीबाग के बरही अनुमण्डल के ग्राम–चकुरा में अनुमण्डलीय स्तरीय स्टेडियम निर्माण कार्य हेतु रू० 3,15,79,900/– की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए अद्यावधि रू० 50.00 लाख का आवंटन उपायुक्त, हजारीबाग को दिया गया हैं। उपायुक्त कार्यालय के द्वारा बरही अनुमण्डल स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग को उपलब्ध कराई गई है। पुनरीक्षित प्राक्कलन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पुनरीक्षित प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2008–09 में बरही प्रखण्ड में इण्डोर स्टेडियम की स्वीकृति प्रदान की गई जो अद्यावधि पूर्ण है।
2	क्या यह बात सही है कि बरही मुख्यालय मैदान में स्टेडियम नहीं होने के कारण अनेको युवा खिलाड़ी अपने प्रतिभा का उचित प्रदर्शन नहीं कर पाते है एवं खेलकूद के क्षेत्र में उनका सम्पूर्ण विकास भी नहीं हो पाता है;	उपर्युक्त कंडिका–1 में वर्णित स्टेडियमों के अतिरिक्त बरही प्रखण्ड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों एवं पंचायतों में खेल मैदान उपलब्ध है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बरही प्रखण्ड मुख्यालय के मैदान में स्टेडियम निर्माण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर कंडिका–1 में निहित है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–03/2024 316 / राँची, दिनांक 25-02-2024

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2600/वि०स०, दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25/02/24

सरकार के संयुक्त सचिव

सुश्री अम्बा प्रसाद, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–03 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिले के बड़कागाँव में स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर क्षेत्र अधिसूचित है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि बड़कागांव में स्थित मुरली पहाड़ सहित विभिन्न पर्यटन क्षेत्र को अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव विभाग को समर्पित किया जा चुका है;	2.	अस्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि बड़कागांव में स्थित बुढ़वा महादेव मंदिर पर्यटन क्षेत्र अधिसूचित होने के बाद भी विकास कार्यों से वंचित है जिसका कारण वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं होना बताया जाता है;	3.	अस्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़कागांव विधान सभा क्षेत्र में स्थित घाघरा जलप्रपात, मुरली पहाड़, पलानी झरना, इसको गुफा, डुमारो जलप्रपात, छतीसो माता स्थान, मेगालिथ स्थल को पर्यटन क्षेत्र अधिसूचित करने एवं कंडिका एक में वर्णित बुढ़वा महादेव मंदिर में होने वाले विकास कार्य के लिए वन विभाग से एनओसी लेते हुए समुचित विकास कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	बुढ़वा महादेव मंदिर – श्रेणी C, इसको गुफा – श्रेणी C का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। प्रश्नाधीन अन्य स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। विभागीय पत्रांक 271 दिनांक 21.02.2024 द्वारा अन्य स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित करने हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद्, हजारीबाग को निदेशित किया गया है साथ ही अधिसूचित पर्यटकों स्थलों की पर्यटकीय विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु विभागीय पत्रांक 910, दिनांक 03.06.2022 के आलोक में प्रस्ताव माँगा गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 02 / 2024.....306........./ राँची, दिनांक.....24.02.2024.....

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2601 / वि०स०, दिनांक– 18 / 02 / 2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/24

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

(26)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–04 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत प्रखण्ड टण्डवा में कोल परियोजना एवं एन0टी0पी0सी0 संचालित है;	स्वीकारात्मक। चतरा जिला अंतर्गत प्रखण्ड टण्डवा में सी0सी0एल0 के कोल खदान तथा एन0टी0पी0सी0 संचालित है।
2. क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड टण्डवा में कोल परियोजना संचालित होने से बहुत से पेड़–पौधे काटे गये हैं, जिसके कारण वहाँ पर लकड़ी का घोर कमी हो गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वनभूमि पर किसी भी प्रकार के गैर वानिकी कार्य (जिसमें उत्खनन कार्य भी सम्मिलित है) हेतु अनुमति भारत सरकार द्वारा दी जाती है। साथ ही वन संरक्षण नियमावली के प्रावधानों के आलोक में गैर वानिकी कार्यो के क्रियान्वयन हेतु अपयोजित होने वाली वनभूमि के बदले में उसके बराबर क्षेत्रफल में गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा सरकारी उपक्रमों के मामले में अपयोजित होने वाली वनभूमि के दो गुणा क्षेत्रफल में अवकृष्ट श्रेणी के वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण किये जाने का प्रावधान है। उक्त मामले में भारत सरकार द्वारा दी गई पूर्वानुमति के आलोक में टण्डवा प्रखण्ड में कोल परियोजना के संचालन हेतु खनन क्षेत्र में पड़ने वाले पेड़–पौधों का पातन किया गया है। खनन हेतु जितनी वनभूमि का अपयोजन किया गया है, उसके दोगुनी अवकृष्ट वनभूमि पर वृक्षारोपण का कार्य भी वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियमावली के आलोक में किया गया है। साथ ही सी0सी0एल0 द्वारा वैसे खनन क्षेत्र जहाँ खुदाई का कार्य पूर्व में सम्पन्न हो चुका है उसका Reclamation करते हुए वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है।
3. क्या यह बात सही है कि टण्डवा में शवदाह करने के लिए विद्युत शवदाह नहीं है एवं लकड़ी का कमी होने के कारण शवदाह करने में वहाँ के स्थानीय लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। प्रखण्ड टण्डवा में शवदाह करने के लिए विद्युत शवगृह नहीं है। परन्तु शवदाह हेतु लकड़ी की कमी होने की समस्या संबंधी सूचना/आवेदन चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा के कार्यालय को प्रतिवेदित नहीं है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड टण्डवा एवं ईटखोरी प्रखण्ड में सरकारी लकड़ी का टाल खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड टण्डवा एवं इटखोरी में लकड़ी का टाल (डिपो) खोलने का विषय वर्त्तमान में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–13/2024– 609 व0प0, दिनांक– 26/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2736, दिनांक– 20.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24
(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव।

27

685
26/02/2024

श्री उमाशंकर अकेला, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–02

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:--

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरही प्रखण्ड में डपोक मध्य विद्यालय, भण्डारों मध्य विद्यालय एवं चौपारण प्रखण्ड में सिंघरावा मध्य विद्यालय, सेलहारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इन विद्यालय में आठवीं कक्षा से ऊपर की पढ़ाई नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र के अनेक छात्र–छात्राऐं उच्च कक्षा की शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि इन गाँवों में आठवीं कक्षा से ऊपर की कक्षा की पढ़ाई के लिए कोई भी विद्यालय अवस्थित नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। मध्य विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निकटतम उच्च विद्यालयों में नामांकन एवं उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा उपलब्ध है। मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु निकटतम उच्च विद्यालय की दूरी 05 कि.मी. या इससे अधिक के साथ–साथ विद्यालय अंतर्गत पर्याप्त भूमि (01 एकड़) की उपलब्धता भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नये उत्क्रमण हेतु वित्त विभाग द्वारा 01 पंचायत में एक से ज्यादा उच्च विद्यालय नहीं रहने का परामर्श दिया गया है। चौपारण प्रखण्ड अन्तर्गत मध्य विद्यालय सिंघरावाँ राष्ट्रीय उच्च पथ के नजदीक अवस्थित है एवं इस विद्यालय से सटा हुआ स्थापना अनुमति प्राप्त विद्यालय सुंदर लाल जैन उच्च विद्यालय, सिंघरावाँ अवस्थित है। चौपारण प्रखण्ड अंतर्गत मध्य विद्यालय सेलहारा से परियोजना उच्च विद्यालय रामपुर 04 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित है। बरही प्रखण्ड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय डपोक का उत्क्रमण हेतु निर्धारित मानक अंतर्गत प्रस्ताव नहीं रहने (इस विद्यालय के पास मात्र 0.82 एकड़ भूमि उपलब्ध है) के आलोक में राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त नहीं है। विभागीय ज्ञापांक 629 दिनांक 21.02.2024 के द्वारा बरही प्रखण्ड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय भण्डारो को उच्च विद्यालय के रूप में उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

श्री उमाशंकर अकेला, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या--शि0--02 क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-		
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उल्लिखित विद्यालयों को उत्क्रमित उच्च विद्यालय में परिणत करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 02 से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–07 / 2024 685 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

28

श्रीमती पुर्णिमा नीरज सिंह, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–04 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला में दिनांक–22.11.2021 को उपायुक्त–सह अध्यक्ष की अध्यक्षता में आहुत जिलास्तररीय पर्यटन संवर्धन समिति (DTPC) की बैठक में (1) कल्याणेश्वरी मंदिर चासनाला, (2) मोहलबनी काली मंदिर (शमशान घाट स्थित) झरिया, (3) राजा तालाब एवं राजागढ़ मंदिर झरिया तथा (4) दुरूख हरिणी मंदिर झरिया को पर्यटक स्थल अधिसूचित करने हेतु अनुशंसा किया गया था;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय संयुक्त सचिव के ज्ञापांक– पर्य०/यो०–19/2016 –143/राँची, दिनांक–07.02.2022 द्वारा उपायुक्त धनबाद को खंड–01 में वर्णित पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने हेतु वांछित प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु पत्राचार किया गया है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01 में वर्णित पर्यटक स्थलों को अधिसूचित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन स्थल पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद व तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा के आलोक में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है जिसके पश्चात उक्त स्थल के विकास हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभागीय पत्रांक 269 दिनांक 21.02.2024 द्वारा पर्यटक उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित करने हेतु प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्धन परिषद के समक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/01/2024 318 /राँची, दिनांक 26-02-2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2602/वि०स०, दिनांक–18/02/2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

29

पंचम झारखण्ड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र में दिनांक 27.02.2024 को श्री अमित कुमार यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उ0त0–05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला अन्तर्गत जयनगर प्रखण्ड में राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, गोहाल का भवन बनाकर विगत 2 वर्षों से तैयार है;	आंशिक स्वीकारात्मक कोडरमा जिला अन्तर्गत जयनगर प्रखण्ड में राजकीय पॉलीटेक्निक, गोहाल का भवन निर्माण कार्य माह दिसम्बर 2022 में पूर्ण हुई है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त कॉलेज में पॉलीटेक्निक कॉलेज, कोडरमा से उपष्कर, प्रयोगशाला सामग्री आदि महत्वपूर्ण सामग्रियों का Shifting कार्य अब तक नहीं किया गया, जिस कारण यहाँ पठन–पाठन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक सम्प्रति राजकीय पॉलीटेक्निक, कोडरमा में ही पठन–पाठन का कार्य किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहिम में पॉलीटेक्निक कॉलेज कोडरमा से उपष्कर आदि आवश्यक सामग्रियों को अविलंब उपलब्ध कराते हुए राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, गोहाल में पठन–पाठन कार्य अविलंब प्रारंभ कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राजकीय पॉलीटेक्निक, कोडरमा के उपष्कर, प्रयोगशाला सामग्री आदि महत्वपूर्ण सामग्रियों का Shifting कोडरमा जिला अन्तर्गत जयनगर प्रखण्ड के गोहाल में नवनिर्मित भवन में करने हेतु संस्थान द्वारा प्रथम बार में समाचार पत्र के माध्यम से निविदा आमंत्रित करते हुए निविदा की कार्रवाई की गयी तथा दूसरी बार GeM पोर्टल के माध्यम से निविदा की कार्रवाई की गयी। उक्त दोनों बार की गयी निविदा की कार्रवाई पर विभागीय समीक्षोपरान्त प्रक्रिया में त्रुटि पाये जाने की स्थिति में निविदा प्रक्रिया को निदेशालीय पत्रांक–781, दिनांक–02.08.2023 तथा पत्रांक–95, दिनांक–24.01.2024 द्वारा रद्द कर दिया गया है। सम्प्रति राजकीय पॉलीटेक्निक, कोडरमा के उपष्कर, प्रयोगशाला सामग्री आदि महत्वपूर्ण सामग्रियों का Shifting कोडरमा जिला अन्तर्गत जयनगर प्रखण्ड में नवनिर्मित भवन में Shifting करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–उ0त0शि0 / वि0स0–03 / 2024 – 198 /राँची, दिनांक– 26.02.2024

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2725 दिनांक 20.02.2024 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.02.2024
(सरकार के अवर–सचिव)

(30)

श्री अमित कुमार मण्डल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–वन–02 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के गोड्डा सरकारी कॉलेज, गोड्डा को 15 अगस्त, 1947 के प्रस्तावित 36 एकड़ भूमि पर वर्ष 1954 में स्थापित हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक। गोड्डा कॉलेज, गोड्डा का भवन आदि 36 एकड़ (14.568 हे0) वनभूमि के आंशिक भाग 2.128 हे0 पर वर्ष 1954 से अवस्थित है। शेष 12.440 हे0 वनभूमि पर गोड्डा कॉलेज के विस्तार हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या–FP/JH/SCH/152705/2022) प्राचार्य, गोड्डा कॉलेज द्वारा समर्पित किया गया था।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अपयोजन प्रस्ताव संख्या–FP/JH/SCH/152705/2022, केन्द्र सरकार के विभागीय मंत्रालय पोर्टल पर अपलोड को NON SITE SPECIFIC बताते हुए उक्त प्रोपोजल को MOEF & CC द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है (दिनांक–31.07.2023) ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 के आलोक में विभागीय अधियाचना कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड के नाम हस्तांरण करने की प्रक्रिया चलायी गयी है;	प्रश्न की कंडिका–2 के आलोक में प्राचार्य, गोड्डा कॉलेज के पत्रांक–GC/349/23 दिनांक–20.12.2023 द्वारा पुनर्विचार का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।
4. क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 के आलोक में यह सरकारी कॉलेज (मुख्यालय) भूमि विहिन हो गया है;	अस्वीकारात्मक। गोड्डा कॉलेज, गोड्डा का वर्ष 1980 के पूर्व निर्मित भवन गोड्डा कॉलेज के अधीन है। अतिरिक्त 12.44 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव पर भारत सरकार की पूर्वानुमति के पश्चात् ही प्रयोक्ता अभिकरण को उपयोग हेतु हस्तान्तरित किया जा सकेगा।
5. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–01, 02, 03 के आलोक में जिले के सबसे पुराने सरकारी कॉलेज के 36 एकड़ भूमि को विभागीय भूमि के रूप में हस्तानांतरण हेतु केन्द्र सरकार को पुनः प्रस्ताव देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	प्राचार्य, गोड्डा कॉलेज, गोड्डा द्वारा रिजेक्ट किये गये वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सं०–FP/JH/SCH/152705/2022 पर पुनर्विचार करने हेतु उनका आवेदन पत्र पत्रांक–GC/349/23 दिनांक–20.12.2023 से समर्पित किया गया था, जिसे वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–598 दिनांक–23.02.2024 द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची को भेजा गया।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0 तारांकित प्रश्न–09/2024– 606 व0प0, दिनांक– 26/02/24

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–2667, दिनांक–19.02.2024 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

31

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

277
26/02/2024

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा.स.वि.स. द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या शि–06

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	उत्तर माननीय प्रभारी विभागीय मंत्री
1.	क्या यह बात सही है कि निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2019 के अनुसार छात्रों की संख्या 60 रहने पर दो शिक्षक होने चाहिए, इसी तरह 61 से 90 तक तीन शिक्षक, 91 से 120 तक चार शिक्षक, 121 से 200 तक पांच शिक्षक तथा 200 से अधिक छात्रों की संख्या होने पर छात्र शिक्षक का अनुपात 40 से अधिक नहीं होने चाहिए;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सभी पाँचों प्रखण्ड को मिलाकर छात्रों की कुल संख्या–85450 है तथा सहायक शिक्षक 568 है तथा पारा शिक्षक 920 है अर्थात शिक्षकों की कुल संख्या–1488 है, खण्ड–1 में वर्णित अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों की संख्या–2137 होनी चाहिए अर्थात 649 शिक्षकों की कमी है, जिस के कारण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू के क्रमशः पत्रांक 305 दिनांक 23.02.2024 एवं पत्रांक 356 दिनांक 23.02.2024 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार पाँच प्रखण्ड में सरकारी/पारा शिक्षकों एवं छात्रों की संख्या निम्नवत् है :–

क्र.	प्रखंड	छात्र सं.	स.शि.	पारा शि.
1	हुसैनाबाद	35986	320	148
2	हैदरनगर	16134	119	179
3	मोहम्मदगंज	10545	82	101
4	हरिहरगंज	19243	185	171
5	पीपरा	10485	89	112
कुल		92393	795	711

जिला शिक्षा अधीक्षक पलामू का पत्रांक 310 दिनांक 26.02.2024 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कक्षा से 1 से 5 एवं कक्ष 6 से 8 शिक्षकों की रिक्ति निम्नवत् है :–

क्र.	कक्षा 1 से 5		कक्षा 6 से 8	
	प्रखंड	रिक्ति	प्रखंड	रिक्ति
1	हुसैनाबाद	100	हुसैनाबाद	59
2	हैदरनगर	63	हैदरनगर	33
3	मोहम्मदगंज	33	मोहम्मदगंज	7
4	हरिहरगंज	27	हरिहरगंज	18
5	पीपरा	35	पीपरा	7
कुल		258	कुल	124

Khursh

<table>
<tr><td></td><td></td><td>जिला शिक्षा अधीक्षक पदाधिकारी, पलामू का पत्रांक 359 दिनांक 26.02.2024 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कक्षा से 9 से 12 में शिक्षकों की रिक्ति निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.</th><th colspan="2">PGT</th><th colspan="2">TGT</th></tr>
<tr><th>प्रखंड</th><th>रिक्ति</th><th>प्रखंड</th><th>रिक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>हुसैनाबाद</td><td>8</td><td>हुसैनाबाद</td><td>52</td></tr>
<tr><td>2</td><td>हैदरनगर</td><td>9</td><td>हैदरनगर</td><td>33</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मोहम्मदगंज</td><td>0</td><td>मोहम्मदगंज</td><td>17</td></tr>
<tr><td>4</td><td>हरिहरगंज</td><td>6</td><td>हरिहरगंज</td><td>49</td></tr>
<tr><td>5</td><td>पीपरा</td><td>1</td><td>पीपरा</td><td>25</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>24</td><td>कुल</td><td>176</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित अधिनियम को बने लगभग 15 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अधिनियम के अनुसार 40:1 का अनुपात आज तक नहीं पूरा हुआ, सिर्फ यही बात बताया जाता है कि शिक्षक नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है;</td><td>आंशिक स्वीकारात्मक।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार हुसैनाबाद–हरिहरगंज विधानसभा क्षेत्र में 40:1 के अनुपात में शिक्षकों को नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</td><td>26001 सहायक आचार्य (इंटर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित) के पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय अधियाचना के आलोक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।</td></tr>
</table>

सरकार के अवर सचिव

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक : 16/वि.2–07/2024...271.../ राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–2722 दिनांक 20.02.2024 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

683
26/02/2024

श्री केदार हजरा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–08

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः--

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ विधान सभा क्षेत्र में एक मात्र उर्दू मध्य विद्यालय, काजीमगहा है;	वस्तुस्थिति यह है कि उर्दू मध्य विद्यालय, काजीमगहा, जमुआ विधानसभा क्षेत्र के जमुआ प्रखण्ड में अवस्थित है। यह एक उर्दू मध्य विद्यालय है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में निहित पूरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 20 हजार अल्पसंख्यक की आबादी है, लेकिन एक भी उर्दू उच्च विद्यालय नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि जमुआ विधानसभा क्षेत्र में जमुआ एवं देवरी प्रखंड अवस्थित है, जहां वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर अल्पसंख्यक (मुस्लिम) आबादी (मतदाता) लगभग 19.80% (2,92,508 में 57916) है। वस्तुस्थिति यह भी है कि मातृभाषा के आधार पर प्राथमिक/प्रारंभिक विद्यालयों/कक्षाओं के संचालन का निदेश है। माध्यमिक/उच्च स्तर पर धर्म अथवा भाषा के आधार पर विद्यालयों के उत्क्रमण का प्रावधान नहीं है
3.	क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उर्दू मध्य विद्यालय, काजीमगहा को अब तक उर्दू उच्च विद्यालय का दर्जा प्राप्त नहीं है;	वस्तुस्थिति यह है कि माध्यमिक/उच्च स्तर पर धर्म अथवा भाषा के आधार पर विद्यालयों के उत्क्रमण का प्रावधान नहीं है। मात्र गैर सरकारी अल्पसंख्यक (धार्मिक अथवा भाषायी) उच्च विद्यालयों की स्थिति में उनके धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक श्रेणी के आधार पर संचालन का प्रावधान संविधान की धारा–29 एवं 30 के अंतर्गत प्रावधानित है।
4.	क्या यह बात सही है कि जमुआ विधान सभा क्षेत्र के खास कर अल्पसंख्यक छात्र–छात्राओं को उर्दू उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अन्य जिलों में जाकर उर्दू उच्च विद्यालय का शिक्षण कार्य करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। सरकार के प्रावधानानुसार उच्च विद्यालय में अन्य विषयों के साथ उर्दू भाषा के पठन–पाठन की सुविधा उपलब्ध है। जमुआ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत निम्नांकित विद्यालयों में उर्दू की पढ़ाई होती है एवं उर्दू शिक्षक पदस्थापित एवं कार्यरत् हैंः–

क्र. सं.	प्रखण्ड	विषय	विद्यालय का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	जमुआ	उर्दू	उ0उ0वि0 रांगामाटी	01	01	00
2	जमुआ	उर्दू	उ0उ0वि0 शाली कन्या	01	00	01
3	जमुआ	उर्दू	लं0बा0उ0वि0 मिर्जागंज	01	01	00
4	जमुआ	उर्दू	उ0उ0वि0 खरियोडीह	01	01	00
5	देवरी	उर्दू	उ0उ0वि0 चौकी	01	01	00
6	देवरी	उर्दू	उ0उ0वि0 बैरिया	01	01	00
7	देवरी	उर्दू	उ0उ0वि0 बरमसिया	01	00	01

683

श्री केदार हजरा, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि0--08

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमुआ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत उर्दू मध्य विद्यालय, काजीमगढ़ा को उत्क्रमित करते हुए उर्दू उच्च विद्यालय का दर्जा दिलाने पर विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मध्य विद्यालयों से उच्च विद्यालय में उत्क्रमण की अनुशंसा हेतु गठित – जिलास्तरीय समिति, गिरिडीह जिला से उर्दू मध्य विद्यालय काजीमगहा को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण किये जाने हेतु अनुशंसा प्राप्त होने तथा उत्क्रमण हेतु प्रावधानित मानकों/शर्तो को उस विद्यालय के द्वारा पूर्ण किये जाने के उपरांत राज्यस्तरीय समिति के समक्ष विचार एवं निर्णय हेतु रखा जा सकेगा। सम्प्रति एतद् संबंधी अनुशंसा अप्राप्त है।

26/02/24

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10/वि.स.01–28/2024 683 राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(34)

श्री अमित कुमार यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–27.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ०–02

क्या मंत्री,
उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– मंत्री–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि कोडरमा जिला अन्तर्गत जयनगर प्रखण्ड के ग्राम हीरोडीह स्थित गैडे फैक्ट्री विगत 20 वर्षों से अधिक समय से बंद है, जिस कारण फैक्ट्री की संरचना, कल पुर्जा, उपकरण आदि दिन प्रतिवेदन नष्ट होते जा रहे हैं;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि उक्त फैक्ट्री के बंद होने के कारण सैकड़ों/हजारो मजदूर बेकार हो गये और घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त फैक्ट्री को पुनः चालू करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जयनगर प्रखण्ड के ग्राम–हीरोडीह अंतर्गत मगद्य स्पून पाईप लि0 इकाई को वर्ष 2006–2019 तक जूपीटर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज द्वारा संचालित किया गया। 2019 में भारतीय स्टेट बैंक, कोलकाता द्वारा सील किये जाने के कारण 2019 से इकाई बंद है। रूग्ण औद्योगिक इकाई से अपने पुनजीर्वन हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति–2021 के प्रावधानानुसार प्रदत्त सुविधाएँ/प्रोत्साहन नियमानुसार देय होगा।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक–01/विधानसभा–03–04/2024 278 /राँची, दिनांकः– 26/2/24

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2719 दिनांक–20.02.2024 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24

सरकार के अवर सचिव

35

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न (संख्याः–सूई–01) का उत्तर प्रतिवेदन

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के प्रखण्ड–बसंतराय के ग्राम–पकड़िया में I.T.I. कॉलेज, पंचायत कार्यालय समेत अन्य सरकारी भवन है।	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि मोबाईल टावर किसी कम्पनी का स्थापित नहीं होने के कारण नेटवर्क कमजोर होने के कारण सरकारी कार्य एवं स्थानीय आमजनों का कार्य बाधित होते रहता है।	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम–पकड़िया (प्रखण्ड–बसंतराय) में मोबाईल टावर स्थापित करने हेतु पहल करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि गोड्डा जिलान्तर्गत प्रखण्ड–बसंतराय, ग्राम–पकड़िया (**Lat 24.975289, N-87.195249E**) में पूर्व से ही निम्नलिखित **Telecom Service Provider/ Infrastructure Provider** का मोबाईल टावर अधिष्ठापित हैः– 1. भारती एयरटेल लिमिटेड 2. रिलांयस जिओ यह सूचना संचार मंत्रालय, भारत सरकार झारखण्ड राज्य इकाई (बिहार एल.एस.ए.) द्वारा दी गई है। उपरोक्त के आलोक में प्रश्न सं0–सूई–01 में उल्लेखित स्थान पर वर्त्तमान में **Telecom Service Provider** एवं **Infrastructure Provider** द्वारा मोबाईल टावर अधिष्ठापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–4

ज्ञापांकः **IT Sec2/Vidha-Prshn-2/2024/IT- 316** राँची, दिनांक 26/2/2024

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 2603 वि0स0 दिनांक 18.02.2024 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

36

श्री आलोक कुमार चौरसीया, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–01 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के प्रखण्ड–सतबरवा में मलय डैम के तट पर पर्यटक स्थल की संभावना है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि यहाँ पर आज भी सैकड़ों पर्यटक नौका विहार करने दूर–दूर से लोग आते है;	2.	स्वीकारात्मक
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रखण्ड–सतबरवा में मलय डैम के तट पर पर्यटकों को सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए पर्यटक स्थल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	पलामू जिला के प्रखण्ड–सतबरवा में मलय डैम श्रेणी–C का पर्यटक स्थल अधिसूचित है। वर्त्तमान में जलक्रीड़ा एवं साहसिक क्रीड़ा से संबंधित उपकरणों की आपूर्ति कर दी गयी है एवं स्थानीय युवाओं को संचालन से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है साथ ही विभागीय पत्रांक 267, दिनांक 21.02.2024 द्वारा मलय डैम में सुलभ व्यवस्था हेतु उपायुक्त, पलामू को संबंधित से प्रस्ताव व प्राक्कलन प्राप्त करते हुए विभाग को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर मलय डैम को पर्यटकीय विकास की स्वीकृति तत्समय बजट उपलबधता पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 04 / 2024–302 / राँची, दिनांक 24-02-2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2599 / वि०स०, दिनांक–18 / 02 / 2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/24

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

ी केदार हाजरा, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–06 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला अन्तर्गत जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत झारखण्ड धाम पर्यटन क्षेत्र घोषित है;	1.	स्वीकारात्मक (उक्त स्थल श्रेणी के C अंतर्गत राज्य स्तर का पर्यटन स्थल के रूप में अधिसूचित है)
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में निहित प्रश्न पर पूर्व की राज्य सरकार के द्वारा झारखण्ड धाम महोत्सव कराया जाता रहा है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–02 में निहित प्रश्न पर पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु अबतक झारखण्ड धाम महोत्सव नहीं कराया गया है;	3.	अस्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूर्व की सरकार की भांति पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु झारखण्ड धाम महोत्सव कराना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	4.	राजकीय मेला/महोत्सव घोषित करने हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1969, दिनांक 07.12.2015 द्वारा नियमावली गठित है। उक्त नियमावली के अनुसार विशेष महत्व के मेला/महोत्सव को पहले जिला पर्यटन संवर्धन समिति की अनुशंसा तदोपरांत राज्य पर्यटन संवर्धन परिषद् की अनुशंसा प्राप्त होने पर राजकीय राजकीय मेला/महोत्सव घोषित करने पर विचार किया जाता है। विभागीय पत्रांक 274, दिनांक 21.02.2024 द्वारा प्रश्नाधीन मेला को राजकीय मेला/महोत्सव घोषित करने हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद्, गिरिडीह को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/06/2024 303 /राँची, दिनांक 24.02.2024

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2733/वि०स०, दिनांक–20/02/2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/24
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

38

श्री कोचे मुण्डा, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 27.02.2024 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उत–01 का उत्तर–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि खूँटी जिलान्तर्गत तोरपा प्रखण्ड के तोरपा में कोई बी0एड0 कॉलेज नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि तोरपा में बी0एड0 कॉलेज नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा हेतु छात्रों को लोधमा एवं राँची जाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक। खूँटी जिले में एक बी0एड0 महाविद्यालय लोधमा में 'पटेल बी0एड0 कॉलेज, कटमकुकु, लोधमा, खूँटी' (निजी बी0एड0 महाविद्यालय) पूर्व से ही संचालित है।
3.	क्या यह बात सही है कि हर वर्ष इस क्षेत्र में हजारों छात्र/छात्राऐं स्नातक की पढ़ाई करने के बाद लोधमा/राँची जाने में असमर्थ होने के कारण बी0एड0 की शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाते है;	अस्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार छात्र हित को देखते हुए तोरपा में बी0एड0 कॉलेज का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों के अंतर्गत संबद्धता प्राप्त बी0एड0 कॉलेजों, 16 अंगीभूत महाविद्यालयों एवं 04 राजकीय बी0एड0 महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित बी0एड0 की पढ़ाई होती है जिसके अंतर्गत छात्र–छात्राएँ बी0एड0 की शिक्षा ग्रहण करते हैं। झारखण्ड राज्य संयुक्त परीक्षा पर्षद, राँची के द्वारा सी0एम0एल0 (कॉमन मेरिट लिस्ट) रैंकिग के आधार पर बी0एड0 पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु छात्र–छात्राओं को बी0एड0 कॉलेज आवंटित की जाती है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा तोरपा प्रखण्ड में बी0एड0 कॉलेज की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–01/वि0स0–06/2024 330 / राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्रांक–2594 दिनांक–18.02.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/02/24
(सुमन कुमार शाही)
सरकार के उप सचिव।

39

682
26/02/2024

डॉ. इरफान अंसारी, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–05

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा प्रखण्ड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चेगाईडीह में छात्र–छात्राओं की संख्या लगभग 850 है एवं इस विद्यालय से लगभग 7 कि.मी. की दूरी में कोई उच्च विद्यालय नहीं है;	अस्वीकारात्मक। उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चेंगाईडीह में वर्ग 01 से 08 तक कुल 626 विद्यार्थी नामांकित है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चेंगाईडीह से नजदीकी उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, सोनबाद की दूरी लगभग 3.5 कि.मी. तथा उच्च विद्यालय, धोबना (प्रस्वीकृति प्राप्त) की दूरी लगभग 04 कि.मी. है।
2.	क्या यह बात सही है कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड को उनके भवदीय पत्रांक 1743 दिनांक 15.09.2021 एवं पत्रांक 251 दिनांक 05.02.2021 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जामताड़ा के पत्रांक 675 दिनांक 02.12.2021 के माध्यम से जामताड़ा जिले के पांच (05) मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चेंगाईडीह, *Udise Code 20191105701* को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु दिनांक 02.12.2021 को प्रस्ताव भेजा गया था;	उत्क्रमित मध्य विद्यालय चेंगाईडीह को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है एवं निकट में उत्क्रमित उच्च विद्यालय सोनबाद की दूरी लगभग 3.5 कि.मी. तथा उच्च विद्यालय धोबना (प्रस्वीकृति प्राप्त) की दूरी लगभग 04 कि.मी. है, जो 05 कि.मी. से कम है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय चेंगाईडीह को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु जिलास्तरीय समिति से प्राप्त प्रस्ताव निर्धारित मानक के अंतर्गत नहीं रहने के आलोक में राज्यस्तरीय समिति से अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त ग्राम अन्तर्गत आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित आबादी अत्यधिक संख्या में है तथा वहाँ उच्च विद्यालय नहीं रहने के कारण उस स्थान के बच्चे–बच्चियाँ उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं;	अस्वीकारात्मक। चेंगाईडीह में अल्पसंख्यक आबादी अत्याधिक है तथा उच्च विद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए छात्र–छात्राओं हेतु 04 कि.मी. की परिधि में क्रमशः उत्क्रमित उच्च विद्यालय सोनबाद तथा उच्च विद्यालय धोबना (प्रस्वीकृति प्राप्त) उपलब्ध है, जहां उच्च विद्यालय में पठन–पाठन करते हैं।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी, जामताड़ा के द्वारा भेजे गये उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करते हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चेंगाईडीह को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका 02 से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–11 / 2024.....682..... राँची, दिनांक 26/02/2024

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

40

696
26/02/2024

श्री बिरंची नारायण, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–शि0–04

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:--

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो अंतर्गत ग्राम पंचायत रानीपोखर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय का भवन का निर्माण वर्ष 2008 में हुआ था, लेकिन आज तक उक्त विद्यालय भवन हैंडओवर नहीं हुआ है, जिसके कारण आगे के सभी कार्य अवरुद्ध हैं;	अस्वीकारात्मक। जिला शिक्षा पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक 358 दिनांक 20.02.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पंचायत रानीपोखर में उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रानीपोखर संचालित है, जहां वर्ष 2008 में जिला परिषद् द्वारा 08 कमरों के भवन का निर्माण कराया गया था, जिसे विद्यालय को हैंडओवर कर दिया गया है। वर्त्तमान में उक्त आठ कमरों में विद्यालय द्वारा वर्ग 09 एवं वर्ग 10 का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुल 498 बच्चे नामांकित एवं अध्ययनरत् हैं।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त उच्च विद्यालय उत्तरी क्षेत्र का एक मात्र उच्च विद्यालय है, जिसमें लगभग 16–17 गाँव के एवं सेक्टर– 8, 9 तथा 11 के झुग्गी–झोपड़ियों के लगभग 1500 छात्र–छात्राएं अध्ययनरत् हैं, यहाँ मैट्रिक के बाद नजदीक में कोई भी +2 विद्यालय नहीं होने के कारण इन गरीब विद्यार्थियों को काफी कठिनाई होती है और अधिकतर बच्चे आगे की पढ़ाई से महरूम रह जाते हैं;	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रानीपोखर में वर्ग–1 से वर्ग–10 तक का संचालन होता है, जहाँ कुल 1069 छात्र नामांकित एवं अध्ययनरत् हैं। उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रानीपोखर से लगभग 06 कि.मी. की दूरी पर राजकीयकृत उच्च विद्यालय, लकड़ाखण्दा संचालित है, जिसे SoE के तहत् +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने पर राज्यस्तरीय समिति की अनुशंसा प्राप्त है। उच्च विद्यालय से +2 विद्यालय में उत्क्रमण से संबंधित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के निर्णय हेतु प्रेषित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार व्यापक जनहित में उक्त उच्च विद्यालय को +2 विद्यालय में उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्क्रमित उच्च विद्यालय, रानीपोखर से 07 कि.मी. से कम दूरी पर राजकीयकृत उच्च विद्यालय, लकड़ाखंदा (दूरी 06 कि.मी.) स्थित है, जिसे +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उच्च विद्यालय रानीपोखर को +2 उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का कोई भी प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–10 / वि.स.01–08 / 2024 696 रॉंची, दिनांक 26/03/2024

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

41

चम झारखण्ड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र में दिनांक 27.02.2024 को श्री अनन्त कुमार ओझा, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उ0त0–02 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला राज्य मुख्यालय व दुमका प्रमण्डल प्रक्षेत्र के सुदूरवर्ती क्षेत्र में अवस्थित है, जो सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़ा क्षेत्र है;	अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि साहेबगंज में अभियंत्रण महाविद्यालय (Engineering College) की स्थापना की स्वीकृति मिलने तथा जमीन चिन्हित होने के बावजूद आज तक महाविद्यालय के स्थापना और इंजीनियरिंग शिक्षण की व्यवस्था प्रारम्भ नहीं हो पाई है;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सहीं हे कि इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित करने से संबंधित विभागीय प्रक्रिया वर्ष 2019 से जारी है, परन्तु आज तक तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में अग्रेत्तर कार्रवाई नहीं हो पाई है	स्वीकारात्मक।
4. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार साहेबगंज में इंजीनियरिंग महाविद्यालय अविलम्ब स्थापित कर तकनीकी शिक्षण व्यवस्था प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	साहेबगंज में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु साहेबगंज अंचल के मौजा बिषहरीथान में कुल रकवा 26.875 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। भूमि प्राप्त होने के पश्चात् राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई की जायेगी।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– उ0त0शि0/वि0स0–02/2024 – 195 /राँची, दिनांक– 26.02.2024

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2665 दिनांक 19.02.2024 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.02.2024
(सरकार के अवर–सचिव)

(42)

पंचम झारखण्ड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र में दिनांक 27.02.2024 को डॉ0 लम्बोदर महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 उ0त0–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक या अभियंत्रण महाविद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि गोमिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पॉलिटेक्निक या डिग्री महाविद्यालय नहीं रहने से हजारों छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। बोकारो जिला अंतर्गत दो राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान संचालित है एवं एक अभियंत्रण महाविद्यालय (Professional College) का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बोकारो जिला के गोमिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक या अभियंत्रण महाविद्यालय खोलना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य में संचालित राजकीय पोलिटेकनिक /राजकीय महिला पोलिटेकनिक तथा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में विद्यार्थियों का नामांकन JCECEB द्वारा तैयार मेरिट लिस्ट (मेधासूची) के आधार पर होता है। मेधासूची तैयार करने में पूरे राज्य के विद्यार्थियों का समेकित रूप से ध्यान रखा जाता है तथा राज्य के निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जाता है। वर्त्तमान में गोमिया विधानसभा में राजकीय पोलिटेकनिक अथवा अभियंत्रण महाविद्यालय का स्थापना का विचार राज्य सरकार का नहीं है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– उ0त0शि0 / वि0स0–05 / 2024 – 194 /राँची, दिनांक– 26.02.2024

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2723 दिनांक 20.02.2024 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.02.2024
(सरकार के अवर–सचिव)

श्री किशुन कुमार दास, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 27.02.2024 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं० टन–05 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला अन्तर्गत मयूरहंड प्रखंड के ग्राम बेला में 1962 ई0 में खुदाई के समय देवी देवताओं का मूर्ति मिला था;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थानों पर स्थानीय सहित पर्यटकों द्वारा सालोभर पूजा अर्चना किया जाता है तथा शिवरात्री के समय विशेष पूजा का आयोजन होता है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर पर्यटकीय सुविधा नहीं रहने के कारण पूजा अर्चना हेतु आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	3.	आंशिक स्वीकारात्मक
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्थान पर पर्यटकीय सुविधा बहाले करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	प्रश्नाधीन पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं है। विभागीय पत्रांक 276 दिनांक 21.02.2024 द्वारा अन्य स्थलों को पर्यटक स्थल घोषित करने हेतु जिला पर्यटन संवर्धन परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखने हेतु उपायुक्त–सह–अध्यक्ष, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद्, चतरा को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/07/2024...304.........../राँची, दिनांक...24-02-2024...........

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2734/वि०स०, दिनांक–20/02/2024 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/24

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र